

केन्द्रीय सूचना आयोग

द्वितीय तल, "बी" बिल्ड, अगस्त क्रांति भवन  
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

संचिका सं. CICOM/R/2017/00905

सेवा में,

श्री मुर्तजा खान,

विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 15.07.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 20.07.2017 को डायराइज़ हुआ (डायरी सं. 150106) तथा दिनांक 21.07.2017 को अर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के संदर्भ में यह अवगत कराया जाता है कि आपने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय से संबंधित सूचनाएं मांगी हैं तथा आपके हारा मांगी गई सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सूचना आयोग या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय/उपक्रम केन्द्रीय सूचना आयोग के न्यायिक/प्रायोगिक क्षेत्राधिकार से बाहर है इसलिए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय/उपक्रम से संबंधित अर.टी.आई. आवेदनों पर केन्द्रीय सूचना आयोग हारा कोई कार्यालयी अपेक्षित नहीं है। अतः कृपया सूचना से संबंधित कार्यालय में आवेदन दाखिल कर सूचना प्राप्त करें। उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग के बहुत केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत लोक प्राधिकरणों के खिलाफ हितीय अपीलीय अधिकरण है। यदि किसी लोक प्राधिकरण द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हो तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनालित है, के समस्त प्रथम अपील दाखिल किया जाना चाहिए। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तब केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोक प्राधिकरणों के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोक प्राधिकरणों के संदर्भ में संबंधित राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत किए गए प्राचारण की छायाप्रतियाँ (स्क्रॉलिंगमाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु अर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का लक्षणक (Index) सर्वी भी संलग्न करना आवश्यक है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील एवं हितीय अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग को संबोधित पत्र के माध्यम से सचाई कारण बताते हुए शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत पत्र के साथ भी लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधाराओं के अंतर्गत किए गए प्राचारण की छायाप्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक होता है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री अर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, अगस्त कांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, दरभाष सं. 011-26162290 पर की जा सकती है।

(ए. के. शर्मा)  
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,  
अर.टी.आई. सेल,

दिनांक 31.07.2017